

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला-दौसा

मु. नं.- 81/22 शिवराम गुमान मुकेश वगैरह

किस्ममुकदमा- वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज .....बनाम..... मु.नं.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	<p><u>5-11-24</u> पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी राज्य कार्य हेतु हाईकोर्ट जयपुर प्यारे जिससे न्यायिक कार्य नहीं हो सका। पत्रावली पूर्वदिनांक दिनांक 26.11.24 को पेश है।</p> <p><u>26.11.24</u> पत्रावली पेश हुई। वकील वाडी पडा उपस्थित। पत्रावली वाले साथ वाडी दिनांक 24.12.24 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;"><b>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</b></p> <p><u>24-12-24</u> पत्रावली पेश हुई। पडाडारान को वार-2 आवाज लगावाई गई। वाडी स्पं प्रतिवादी पडा अनुपस्थित रहे। पत्रावली अन्वये समय से साथ वाड में लखित है। वाडी को वार-2 मिडेशों के वाकपूड मिडेशों की अकहेलना की जाती है। पत्रावली आदेश 9 नियम 3 CPC के अनुसरण में वाडी की अडम दावडी व अडम पेशी में खारिज की जाती है। पत्रावली केसल शुमार होकर रखिल इफ्तार है।</p> <p style="text-align: right;"><b>उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)</b></p>	